मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल – 462004

Website : www.mpmandiboard.co.in E-mail : eanugya@gmail.com Tel: 0755-2553429

क्रमांक / बी–5 / 2 / ई–अनुज्ञा / 2019–20 / 1258 भोपाल दिनांक 14 नवम्बर 2019

प्रति,

(01) संयुक्त संचालक / उप संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल / नर्मदापुरम (होंशगाबाद) / इंदौर / उज्जैन / ग्वालियर /
चम्बल (मुरैना) / सागर / जबलपुर / रीवा (म0प्र0)

(02) सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति,
समस्त जिला समस्त (म0प्र0)

विषयः–ई–अनुज्ञा बनाने के उपरांत उसमें संशोधन / डिलीट / निरस्ती की कार्यवाही हेतु प्राप्त अभ्यावेदन मण्डी बोर्ड मुख्यालय को अग्रेषित करने संबंधी।

–0–

दिनांक 16 / 08 / 2019 से प्रदेश की समस्त कृषि उपज मण्डी समितियों में ई–अनुज्ञा पोर्टल का कियान्वयन किया जा रहा है जिसमें शतप्रतिशत ई–अनुज्ञा बनाये जा रहे हैं।

ई–अनुज्ञा पोर्टल कियान्वयन को ढाई माह से अधिक का समय हो चुका है फिर भी मण्डी समितियों की और से भुगतान पत्रक, पाक्षिकी (01 / 08 / 2019 से 16 / 08 / 2019 तक), मण्डी फीस एवं ई–अनुज्ञा में संशोधन / डिलीट / निरस्ती के प्रस्ताव निरंतर प्राप्त हो रहे हैं। इस आशय की त्रुटियॉ / गल्तीयॉ होने व दोहराये जाने से स्पष्ट है कि संबंधित मण्डी के सचिव एवं ई–अनुज्ञा कार्य में लगे मण्डी कर्मचारियों के द्वारा अपने कार्य का निर्वहन पूर्ण सजगता व गंभीरता से नहीं किया जाना दर्शाता है। यह स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक एवं लापरवाही का द्योतक है।

ई–अनुज्ञा पोर्टल में वर्तमान में लगभग 48% से अधिक ई–अनुज्ञायें मण्डी के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों के द्वारा स्वयं अपनी लॉगिन आई.डी. से बनाई गई हैं, ऐसी स्थिति में ई–अनुज्ञा पोर्टल पर भुगतान पत्रक, पाक्षिकी (01 / 08 / 2019 से 16 / 08 / 2019 तक), मण्डी फीस एवं ई–अनुज्ञा में संशोधन / डिलीट / निरस्ती के प्रस्ताव संदेह की परिधी में आते हैं।

अतः भुगतान पत्रक, पाक्षिकी, मण्डी फीस एवं ई–अनुज्ञा में संशोधन / डिलीट / निरस्ती के प्रस्ताव मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल को प्रेषित करने के पूर्व मण्डी समितियों के सचिव स्वयं उसका अच्छी तरह से जांच एवं परीक्षण करने के उपरांत अपने अंचल के संयुक्त संचालक / उप संचालक, आंचलिक कार्यालय से विचार विमर्श व चर्चा कर उनकी सहमति उपरांत प्रमाणीकरण करने के पश्चात ही मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल को अग्रेषित करने की कार्यवाही की जाये।

(डॉ.केदार सिंह)
अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक / बी–5 / 2 / ई–अनुज्ञा / 2019–20 / 1259 भोपाल दिनांक 14 नवम्बर 2019

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(01) निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल (म0प्र0)।

(02) अपर संचालक (वित्त), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(03) श्री मुशर्रफ सुल्तान, तकनीकी निदेशक, भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन भोपाल।

(04) संयुक्त संचालक (नियमन / ई–अनुज्ञा) / सहायक संचालक (नियमन), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल